



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं०-380/2022

दिनांक- 14-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति थाना- जीयनपुर

चोरी की घटना का सफल अनावरण; असलहे से लैश होकर चोरी करने वाला अन्तर्जनपदीय चोर गिरफ्तार,

अवैध असलहा, कारतूस व चोरी के सामान बरामद।

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 01/02/2022 को वादिनी मुकदमा सावित्री सुखसागर वर्मा पत्नी सुखसागर वर्मा निवासी ग्राम केशवपुर मोचीपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थानास्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 8/9/2022 को अज्ञात चोरो द्वारा घर का ताला तोडकर घर में रखे पायल, अंगुठी, सोने के हार, कान के टप्स, अंगुठी, पाजेब आदि सोने चांदी के जेवरात व नकदी चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे सूचा दिया गया जिसके सम्बन्ध मे थानास्थानीय पर मु० अ० सं० 569/2022 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया व बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ.नि. सौरभ कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी विवेचना से अभियुक्त नूरे आलम पुत्र स्व० रहमत अली निवासी वार्ड नं० 1 डाक बंगला के सामने कस्बा व थाना दोहरीघाट जनपद मऊ आदि 02 नफर का नाम प्रकाश मे आया विवेचना के क्रम मे -

गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक- 14/11/2022 को उ.नि. सौरभ सिंह प्रभारी चौकी लाटघाट मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नूरे आलम पुत्र स्व० रहमत अली निवासी वार्ड नं० 1 डाक बंगला के सामने कस्बा व थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को रजादेपुर चौराहे से अहिरौली जाने वाले मार्ग के पास से समय 7.50 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के पास से एक अदद तंमचा .303बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303बोर व 5 अदद एनड्राइड मोबाइल अलगअलग कम्पनी का व 4 अदद हेड फोन,01 अदद सेल्फी स्टैण्ड,03 अदद डाटा केबल,01 अदद यू एस बी फैन,01 अदद रम्मा लोहे का,01 अदद लोहे की ब्लेड,1130/ रुपया नगद बरामद हुआ उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के अधार पर थानास्थानीय पर मु०अ०सं०- मु०अ०सं० 686/2022 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग -

1-मु०अ०सं० 686/2022 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर ,आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1- नूरे आलम पुत्र स्व० रहमत अली निवासी वार्ड नं० 1 डाक बंगला के सामने कस्बा व थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

आपराधिक इतिहास-

| क्र०सं० | मु०अ०सं० | धारा | थाना | जनपद- |
|---------|----------|---------------------------|-------------|---------|
| 1 | 32/2018 | 457,380,411 भादवि | बडहलगंज | गोरखपुर |
| 2 | 100/2018 | 380,457 भादवि | बडहलगंज | गोरखपुर |
| 3 | 154/2020 | 457,380,411,413,427 भादवि | बडहलगंज | गोरखपुर |
| 4 | 266/2013 | 457,380 ,411 भादवि | दोहरीघाट | मऊ |
| 5 | 667/2013 | 457,380,411 भादवि | दोहरीघाट | मऊ |
| 6 | 451/2017 | 457,380,411 भदावि | दोहरीघाट मऊ | मऊ |
| 7 | 454/2017 | 60 आबकारी एक्ट | दोहरीघाट | मऊ |
| 8 | 569/2022 | 457,380,411 भादवि | जीयनपुर | आजमगढ़ |
| 9 | 650/2022 | 457,380,411 भादवि | जीयनपुर | आजमगढ़ |
| 10 | 686/2022 | 3/7/25 आर्म्स एक्ट | जीयनपुर | आजमगढ़ |

बरामदगी –

1. एक अदद तंमचा .303बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस .303बोर
2. 5 अदद एनड्राइड मोबाइल अलग अलग कम्पनी का, 4 अदद हेड फोन, 01 अदद सेल्फी स्टैण्ड, 03 अदद डाटा केबल
3. ,01 अदद यू एस बी फैन, 01 अदद रम्मा लोहे का, 01 अदद लोहे की ब्लेड, 1130/ रुपया नगद ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 सौरभ सिंह, का0 आशु सिद्धिकी, का0 जितेन्द्र यादव थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
2. का0 उमेश कुमार व का0 इन्द्रेश वरूण सर्विलांस सेल ,जनपद-आजमगढ़

थाना- बरदह

हत्या के प्रयास में एक गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण / गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक 07.04.22 को वादी श्री समर बहादुर सिंह पुत्र श्री राजबली सिंह ग्राम कोदहरा थाना बरदह आजमगढ़ ने शिकायत किया कि विपक्षी 1. शनी s/o मो0रईश 2. शाहिल s/0 मुल्तान, 3. रिजवाना w/0 मुल्ताना 4. सौरुनिशा w/o रईश,5. आसिफ उर्फ सोनूस/o जमा निवासीगण ग्राम कोदहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के भतीजे को गाली दिया गया, मना करने पर मारपीट किया गया व जान बचाकर घर में भागा तो उपरोक्त व्यक्तियों के साथ चार पांच अन्य अज्ञात व्यक्ति जिनका नाम पता अज्ञात वादी के भतीजे का पिछा करते हुये घर में घुस अपने हाथ में लिये लाठी डण्डे व राड से मारने पिटने लगना उस समय मैं घर में मौजूद रहने पर शोर गुल सुनकर वादी तथा वादी के पडोसी रेवती रमण त्रिपाठी s/o कैलाश व घर की महिलाये बीच बचाव के लिये आई तो उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा सभी लोगों को भी मारने पिटने लगना उसी में से एक व्यक्ति द्वारा तमंचा निकालकर वादी को जान से मारने की नियत से निशाना बनाकर फायर करने के संबंध में थानास्थानीय पर मु0अ0स0 – 85/22 धारा 307/458/323/504/506/34 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उ0नि0 श्री सतीश यादव को सुपुर्द हुई दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 शस्त्र अधि0 का पंजीकृत किया गया तथा अभि0गण 1-मुल्तान पुत्र इस्लाम 2-शराफत अली पुत्र जमालुद्दीन 3-इसराइल पुत्र हनीफ निवासीगण कोदहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया । इसी क्रम में -

दिनांक 14.11.22 को उ0नि0 सतीश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इजराइल पुत्र हनीफ सा0 कोदहरा थाना बरदह आजमगढ़ को बरदह पावर हाउस के पास से समय करीब 11.45 बजे हिरासत में लिया गया एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया ।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 – 85/22 धारा 307/458/323/504/506/34 भा0द0वि0 व 3/25 शस्त्र अधि0

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- इजराइल पुत्र हनीफ सा0 कोदहरा थाना बरदह आजमगढ़

पुलिस टीम-

सतीश यादव (उ0 निरीक्षक) राजेन्द्र कुशवाहा (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 10 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) - अभि0 ब्रम्हानन्द यादव उर्फ नंगा यादव पुत्र स्व0 लाल जी यादव R/o ठुठवा मुस्तफाबाद थाना मेंहनगर आजमगढ़ का एक संगठित गिरोह है । जिसके सदस्य 1 साहिल यादव उर्फ विट्टु यादव उर्फ विधायक पुत्र शोभनाथ यादव ग्राम ठुठवा मुस्तफाबाद, थाना मेंहनगर आजमगढ़, 2. लालचन्द्र राजभर पुत्र दुबरी राजभर R/O खजुरी थाना मेंहनगर आजमगढ़ 3. सत्यम यादव S/O रामानन्द यादव R/O ठुठवा मुस्तफाबाद थाना मेंहनगर आजमगढ़ है। जिसका लीडर

ब्रम्हानन्द यादव उपरोक्त है। यह गिरोह अपने तथा अपने साथियों के आर्थिक एवं दुनियावी लाभ के लिए लगातार अपराध जगत में सक्रिय है। इनका जनता में इतना भय एवं आतंक व्याप्त है। उक्त गिरोह के द्वारा दिनांक 16.10.20 को कटात नहर पुलिया के पास पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया था, तथा पुलिस मुठभेड के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद मो0 सा0 UP 50AX0776 व WB01V6342 हीरो होन्डा स्पेन्डर प्लस व 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर व 01 अदद तमंचा 315 बोर 01 अदद खोखा कारतुस. 315 बोर 01 अदद जिन्दा कारतुस, 315 बोर व 01 अदद तमंचा. 303 बोर व 01 अदद मिस कारतुस .303 बोर बरामद हुआ था। बरामदगी व गिरफ्तारी के अधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 157/20 धारा 307/41/411 IPC बनाम ब्रम्हानन्द यादव, साहिल यादव, लालचन्द्र राजभर, सत्यम यादव उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत है। बाद विवेचना सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0न्यायालय में दिनांक 04.01.21 को प्रेषित किया गया है। दिनांक- 15.09.22 को साहिल यादव उर्फ विठ्ठु यादव उपरोक्त द्वारा अपने साथियों के साथ थाना क्षेत्र रानी सराय के काजी भीटी के पास असलहे के बल पर एवं मो0 साईकिल छीनकर फरार हो गये थे। जिसके सन्दर्भ में रानी के सराय जनपद आजमगढ़ में मु0अ0स0 133/20 धारा 392 IPC का अभियोग पंजीकृत है। बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे आरोप पत्र संख्या A-52 दिनांक 31.05.22 को कित्ता करके मा0न्या0 में प्रेषित किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 06.02.15 को उक्त गिरोह के सरगना द्वारा अपने साथियों के साथ ग्राम देवईत निवासी श्री पति यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 28/15 धारा 302IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। बाद विवेचना गैंग लीडर ब्रम्हानन्द यादव उपरोक्त सहित कुल 08 मय आरोपि प्रकाश में आये है। लेकिन ब्रम्हानन्द यादव उपरोक्त के अतिरिक्त अ0स0 28/15 में प्रकाश में आये मय 08 आरोपी अपराध जगत में सक्रिय नहीं है। इस प्रकार गैंग लीडर, 1 ब्रम्हानन्द यादव उर्फ नंगा यादव व 2 साहिल यादव उर्फ विठ्ठु यादव उर्फ विधायक 3.लालचन्द्र राजभर, 04 सत्यम यादव उपरोक्त एवं शातिर किस्म के अपराधि है जो लगातार अपराध जगत में सक्रिय है। जिनके विरुद्ध धारा 3 (1) गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 के अधीन थाना हाजा पर मु.अ.सं. 338/22 पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी की विवरण – दिनांक- 14.11.2022 को थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त लालचन्द्र राजभर पुत्र दुबरी राजभर सा0 खजुरी थाना मेहनगर आजमगढ़ को मेहनगर रोडवेज बस स्टैण्ड से समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त 10,000 रुपये का इनामिया अपराधी है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु.अ.सं. 338/22 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना मेहनगर, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 157/20 धारा 307/41/411 IPC थाना मेहनगर, आजमगढ़

2. मु.अ.सं. 158/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनगर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-लालचन्द्र राजभर पुत्र दुबरी राजभर सा0 खजुरी थाना मेहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह का0 हिमांशु गिरि, का0 सत्यम कुशवाहा, का0 मोहित यादव व म0का0 नीतू तिवारी थाना मेहनगर आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर
वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 14.11.2022 को उ0नि0 ओमकारनाथ पाण्डेय मय हमराह द्वारा मु.अ.स 380/22 धारा 379,411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र आदालत ग्राम मोलनापुर थाना निजामाबाद आजमगढ जो बकरी चोर है फैजुल्लाहपुर भट्टा मोड के पास से समय करीब 10.35 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लेकर जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त

राहुल कुमार पुत्र आदालत ग्राम मोलनापुर थाना निजामाबाद आजमगढ उम्र 20 वर्ष ।

बरामदगी:- 02 अदद बकरी

पंजीकृत अभियोग:-

मु.अ.स 380/22 धारा 379,411 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम ::

1. उ0नि0 ओमकारनाथ पाण्डेय का0 राजेन्द्र कुमार का0 महेश प्रसाद थाना गम्भीरपुर आजमगढ ।

थाना कन्धरापुर
मारपीट में वांछित 02 गिफ्तार

दिनांक- 14.11.2022 को उ0नि0 रतन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 232/2022 धारा 323/504/506/308/325/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1.सुरेन्द्र यादव पुत्र लालजीत यादव 2. दयाराम यादव पुत्र स्व0 लोरिक यादव निवासीगण कपसा थाना कन्धरापुर आजमगढ को ग्राम कपसा से समय करीब 12.05 दिनांक 14.11.2022 बजे पर हिरासत पुलिस में लिया गया ।

गिफ्तार अभियुक्त

1.सुरेन्द्र यादव पुत्र लालजीत यादव उम्र 30 वर्ष

2. दयाराम यादव पुत्र स्व0 लोरिक यादव निवासीगण कपसा थाना कन्धरापुर आजमगढ उम्र करीब 55 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 232/2022 धारा 323/504/506/308/325/34 भादवि थाना कंधरापुर आजमगढ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रतन कुमार सिंह का0 सुशील कुमार थाना कन्धरापुर आजमगढ ।